निर्णय :–

दिनांक:–20/12/2024

अधिवक्ता प्रार्थी श्री महेन्द्र सैन की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना व ठोस आधार है। यह कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है इस कारण प्रार्थीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति मे जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र की नोईयत को समझने के लिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थीगण की दादी धन कौर की दिनांक 22.01. 2017 को मृत्यु हो चुकी है, एंव धन कौर के पुत्र पुत्रियो की भी अर्सा पूर्व मृत्यु हो चूकी है कि जिनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण स. 1 ता 6 व तरतीबी अप्रार्थीगण स. 8 ता 15 है।

यह कि प्रार्थीगण की दादी धन कौर पत्नी आत्मा सिंह के नाम संयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एन.एस.डब्ल्यू के खाता सरू 6/13 के प.न. 38/340 मु.न. 11 के किला न. 1/2/025, 1/3/203, 2/1/228, 2/2/025, 3/1/228, 3/2/025, 4/1/228, 4/2/.025, 5/1/228, 5/2/.025, 6 ता 9. 10/1/228, 11/1/228, 12 ज 19, 20/1/228, 21/2/203, 22/2/228, 23/1/227, 24 /2 / 227, 25 / 1 / 227 व प.न. 38 / 341 के मु.न. 13 के किला न 1 ता 15 दोनो पत्थरो की कुल 9.867 हैक. अनकमाण्ड गैर मु. खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, जिसमें प्रार्थीगण की दादी धनकौर का 2467/9867 हिस्सा यानि 2.467 हैक. मय गैर मु. खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भमि पैतृक कृषि भूमि है। पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 व तरतीबी अप्रर्थीगण बतौर सहदायिक होने के कारण जन्म से हक व हिस्सा निहित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:20:29 IST
Reason: SelfAttested

1 ता 6 व तरतीबी अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण 1 ता 6 व तरतीबी अप्रार्थीगण को फसल बैचान करने व अन्य कार्यों हेतु परेशानी होती है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 व तरतीबी अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है और इसी आश्य की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

यह कि दफा 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण स. 1 ता 6 व तरतीबी अप्रार्थीगण की सास/दादी के नाम राजस्व रिकार्ड मं दर्ज है जो पैतृक कृषि भूमि है और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 रजिंस रखते है ओर इसी कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 अप्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 15 की दादी सास धन कौर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण का पैतृक सम्पति को रहन बैय कर देते है तो प्रार्थीगण को अपरिमेय व अपूर्णिय क्षति होगी तथा न पूरा होने वाला नुकसान होगा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है इन अत्याआवश्यक व त्तकालिक परस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर पाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 8 ता 15 की दादी/सास धनकौर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेद रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण ता फैसला बाद इस आश्य की स्वीकार फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 7 एन. एस.डब्ल्यू के खाता सरू 6/13 के प.न. 38/340 मु.न. 11 के किला न. 1/2/025, 1/3/203, 2/1/228, 2/2/025, 3/1/228, 3/2/025, 4/1/228, 4/2/.025, 5/1/228, 5/2/.025, 6 ता 9. 10/1/228, 11/1/228, 12 ज 19, 20/1/228, 21/2/203, 22/2/228, 23/1/227, 24 /2 / 227, 25 / 1 / 227 व प.न. 38 / 341 के मु.न. 13 के किला न 1 ता 15 दोनो पत्थरो की कुल 9.867 हैक. अनकमाण्ड गैर मु. खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, जिसमें प्रार्थीगण की दादी धनकौर का 2467/9867 हिस्सा यानि 2.467 हैक. मय गैर मु. खाला कृषि भूमि अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेद रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की ओर से निम्न प्रकार से है— यह कि प्रार्थीगण का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की कोई आशा नहीं है।

. यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की दफा 2 जिस तरह से लिखी है अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा सजरा खानदान में कुछ अप्रार्थीगण के नाम सही नहीं लिखे है ना ही उक्त सम्पति पैतृक सम्पति है। धन कौर की मृत्यु के पश्चात [illegible] पुत्र दर्शन सिंह, जलावर सिंह, गुरनाम सिंह, व पुत्री तेज कौर कुल [illegible] ब प्रत्येक को 1/4 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके [illegible] को उनके हिस्से में से कृषि भूमि प्राप्त होगी। दर्शन सिंह के फौत होने पर उसके वारिस अप्रार्थी सं. 8 उसकी पत्नी वादी सं. 1 रघुवीर, वादी सं. 2 गुरदीप व अप्रार्थी सं. 9 ता 12 को ब.हि. ब प्राप्त हुई तथा जलावर सिंह के फौत होने पर उसके 1/4 हिस्से हम अप्रार्थीगण 1 ता 3 को ब.हि.ब. कृषि भूमि प्राप्त हुई। तेज कौर पुत्री धन कौर पत्नी जगदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस हम

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:20:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थीगण 4 ता 6 को ब. हि . ब उसके हिस्से की कृषि भूमि प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त गुरनाम सिंह के फौत होने पर वादी सं. 3, 4 व अप्रार्थी सं. 13 ता 15 को भूमि प्राप्त हुई ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 जिस तरह से लिखी है अस्वीकार हैं उक्त भूमि धन कौर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र दर्शन सिंह, जलावर सिंह, गुरनाम सिंह, व पुत्री तेज कौर कुल चार वारिस थे जिनको ब. हि. व प्रत्येक को 1/4 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके वारिसो को उनके हिस्से में से कृषि भूमि प्राप्त होगी । दर्शन सिंह के फौत होने पर उसके वारिस अप्रार्थी सं. 8 उसकी पत्नी वादी सं. 1 रघुवीर, वादी सं. 2 गुरदीप व अप्रार्थी सं. 9 ता 12 को ब .हि. ब प्राप्त हुई तथा जलावर सिंह के फौत होने पर उसके 1/4 हिस्से हम अप्रार्थीगण 1 ता 3 को ब. हि. ब. कृषि भूमि प्राप्त हुई। तेज कौर पुत्री धन कौर पत्नी जगदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस हम अप्रार्थीगण 4ता 6 को ब. हि. ब उसके हिस्से की कृषि भूमि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त गुरनाम सिंह के फौत होने पर वादी सं. 3, 4 व अप्रार्थी सं. 13 ता 15 को भूमि प्राप्त हुई। इस प्रकार सभी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को उक्तानुसार भूमि प्राप्त हुई लेकिन प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा मारने की नियत से उक्त दावा पेश किया ताकि उक्त भूमि हम अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ना करवा सकें बैंक से लोन इत्यादि व अन्य कार्य ना कर सकें उनके मन में बैयमानी है, वे किसी भी तरिके से हमारा हक व हिस्सा मारने के लिए उतारू है तथा हमारे कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी कर रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 जिस तरह से लिखी है अस्वीकार है जो कि प्रथम दृष्टया ममला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है जिस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेध ज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें तथा हम अप्रार्थीगण को खर्चा मुकदमा व अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाया जावें ।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। वाद ग्रस्त रकबा पैत्रक कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है अस्थाई निषेघाज्ञा जारी किये 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा कर्म्फम करने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है क्योंकि रिकार्डिड काश्तकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की दादी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिसके कारण प्रश्नगत रकबा को बैचान एवं रहन बैय का कोई अधिकारी नहीं है [illegible] एवं अपूर्णिय क्षति जैसे बिन्दू पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र मय अस्[illegible]ज्ञा दिनांक 08.05.23 खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:20:29 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब त[illegible]ील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा